

॥ कार्यालय उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जोधपुर ॥

(जोधपुर एवं बीकानेर संभाग)

क्रमांक: उ.म.नि./स्था./प्र0भर्ती- 2015/बीका.मण्डल/2018-19/ **5649-66**

दिनांक: **24/01/19**

:: आदेश ::

राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम- 1998 के नियम 32 के अन्तर्गत प्रहरी भर्ती परीक्षा 2015 में जोधपुर एवं बीकानेर मण्डल हेतु गठित चयन समिति द्वारा निर्मांकित आशार्थियों को प्रहरी पद पर बीकानेर मण्डल से चयन किये जाने के फलस्वरूप निर्मांकित शर्तों के अधीन राजस्थान कारागार विभाग में कार्यभार सम्भालने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि पर उनके नाम के सामने अंकित कारागृह पर पदस्थापित किया जाता है।

अतः नव नियुक्त आशार्थी केन्द्रीय कारागृह बीकानेर पर दिनांक 01.02.2019 को आवश्यक रूप से अपनी उपस्थिति देगे। साथ ही नियुक्ति आदेश में वर्णित शपथ पत्र संलग्न प्रपत्र अनुसार तैयार करवाकर एवं 06 फोटो (जो कि मेडिकल के समय प्रस्तुत की गई थी) आवश्यक रूप से साथ लेकर आवे।

आशार्थियों की पदस्थापन सूची:-

क्र.स.	रोल नं.	नाम आशार्थी मय पिता का नाम	चयन श्रेणी	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान
1.	21809022232	श्री प्रकाश कुमार पुत्र श्री प्रेमराम	MBC-01	15-06-1993	केन्द्रीय कारागृह बीकानेर
2.	21811002616	श्री सचिन कुमार पुत्र श्री रामसिंह	OBC-MALE-01	10-06-1989	केन्द्रीय कारागृह बीकानेर
3.	21307001688	श्री हेताराम पुत्र श्री किशनाराम	UR-MALE-01	05-08-1995	केन्द्रीय कारागृह बीकानेर
4.	21811004992	श्री सुधीर कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश	UR-MALE-03	06-04-1997	केन्द्रीय कारागृह बीकानेर
5.	21809007673	श्री हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री ओमवीर सिंह	UR-MALE-04	25-05-1996	केन्द्रीय कारागृह बीकानेर
6.	21809022566	श्री सुशील कुमार पुत्र श्री सतपाल	UR-MALE-05	04-01-1993	केन्द्रीय कारागृह बीकानेर
7.	21402009389	प्रेम कंवर पुत्री श्री महावीर सिंह	UR-FEMALE-01	15-01-1994	केन्द्रीय कारागृह बीकानेर
8.	21809010351	श्री उममेदसिंह भाटी पुत्र श्री दल्लु सिंह	UR-EX-01	01-07-1969	उप कारागृह नोखा
9.	21810006548	श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री राम कुमार	UR-EX-03	20-07-1979	केन्द्रीय कारागृह बीकानेर

[Handwritten Signature]

01. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ-डी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के प्रावधानों के तहत रूपये 12800/- प्रतिमाह की दर से नियमित पारिश्रमिक देय होगा एवं परिवीक्षा प्रशिक्षण की कालावधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही प्रहरी पद का पे मेट्रिक्स के लेवल L-3 में न्यूनतम वेतन अनुज्ञात किया जायेगा। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लम्बित एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम् गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्याधीन होगा।

02. पूर्व से ही नियोजित अभ्यर्थी वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के प्रावधान के अन्तर्गत पूर्व में आहरित वेतन का विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

03. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की कालावधि में किसी प्रकार के अन्य भत्ते अनुज्ञात नहीं होंगे एवं राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि आदि की कटौती नियमानुसार नहीं होगी।

04. वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13.03.2006 के प्रावधान के तहत परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के द्वारा परिवीक्षा प्रशिक्षण की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने के उपरान्त भी परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि की वार्षिक वेतन वृद्धि अनुज्ञात नहीं की जावेगी।

05. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलैण्डर वर्ष में कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश देय होगा।

06. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर नियमानुसार पद पर स्थाईकरण किया जावेगा। प्रशिक्षण एवं स्थाईकरण के संबंध में प्रचलित नियम, परिपत्र इत्यादि लागू होंगे।

07. वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में नियत पारिश्रमिक से न्यू पेंशन स्कीम (एन.पी.एस.) में अंशदान की नियमानुसार कटौती होगी।

08. वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार मेडीकलेम इंशोरेन्स योजना प्रभावी होगी।

09. कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)डी.ओ.पी./ए-11/95 दिनांक 08.04.2006 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को व इसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के संबंध में कार्य ग्रहण करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि दिनांक 01.06.2002 को व इसके पश्चात् उत्पन्न संतानों की संख्या दो से अधिक होगी तो नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

10. अभ्यर्थी को राजस्थान दहेज प्रतिशोध अधिनियम, 2004 के अनुसार विवाहित होने पर उपस्थिति देने के समय तथा अविवाहित होने पर विवाह के पश्चात निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने कोई दहेज नहीं लिया है।

11. अभ्यर्थी को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 की पालना में धुम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने की वचन बद्धता (UNDERTAKING) देनी होगी।

12. आशार्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति से एक वर्ष की अवधि में राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा से त्याग पत्र देना चाहेंगे, अन्य पद ग्रहण करना चाहेंगे तो ऐसा करने से पूर्व उन्हें प्रशिक्षण अवधि में उनके द्वारा प्राप्त समस्त वेतन एवं भत्ते व उनके प्रशिक्षण पर

हुये व्यय की राशि एक मुश्त राजकोष में जमा करानी होगी। अभ्यर्थी को इस संबंध में विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करना होगा।

13. यह नियुक्ति राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, आदेशों व शर्तों के अध्वधीन है।

14. यह कि अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 01.02.2019 को उपस्थिति प्रदान नहीं की जाती है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावे।

15. अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह बीकानेर सभी आशार्थियों के वेतन/गणवेश/अभिलेख संबंधी समस्त कार्यवाही दिनांक 15.02.2019 तक पूर्ण कर इन्हे प्रशिक्षण हेतु कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर पर दिनांक 20.02.2019 को आवश्यक रूप से उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त करें।

16. आवश्यक निर्देश संलग्न है।

नोट :- आशार्थियों को नियुक्ति पर उपस्थिति देने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त सभी नव नियुक्त प्रहरियों का नियत पारिश्रमिक उनके नाम के सामने अंकित कारागृह द्वारा आहरित कर भुगतान किया जायेगा।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर।

02. उप शासन सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।

03. विलिय सलाहकार, महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर

04. अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि समस्त आशार्थियों से संतानों की घोषणा के संबंध में शपथ पत्र अनिवार्य रूप से लेवे, तथा यदि किसी आशार्थी की संतानों की संख्या दिनांक 01.06.2002 को व इसके पश्चात् दो से अधिक है तो उसे ड्यूटी पर न लिया जाकर अविलम्ब इस कार्यालय को अवगत करावे तथा आशार्थियों को नियमानुसार पारिश्रमिक का भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करावे तथा आशार्थियों के वेतन/गणवेश/अभिलेख संबंधी समस्त कार्यवाही दिनांक 15.02.2019 तक पूर्ण कर इन्हे प्रशिक्षण हेतु कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर पर दिनांक 20.02.2019 को उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त करें। (मुख्यालय के पत्र दिनांक 23.01.2019 की प्रति संलग्न है।)

05. उपाधीक्षक प्रशिक्षण शाखा, मुख्यालय कारागार राजस्थान, जयपुर।

(कैलाश त्रिवेदी)
उप महानिरीक्षक कारागार
रैज, जोधपुर (राज0)

06. श्री/सुश्री/श्रीमति.....

..... को ज्वाइनिंग निर्देशों की छायाप्राति प्रेषित कर लेख है कि बंध पत्र (पचास रुपये के स्टाम्प पर), दहेज न लेने के संबंध में, धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने एवं संतानों के संबंध में शपथ-पत्र, संलग्न प्रपत्र अनुसार, आधार कार्ड (मूल) एवं मेडिकल के समय प्रस्तुत फोटो 06 प्रति में आवश्यक रूप से लेकर निधिरित तिथि को यथा समय पर अपनी उपस्थिति केन्द्रीय कारागृह बीकानेर के समक्ष दिनांक 01.02.2019 को आवश्यक रूप से दें। (ज्वाइनिंग निर्देश एवं शपथ-पत्रों के प्रारूप संलग्न हैं)

07. संबंधित की निजी पत्रावली /रक्षक पत्रावली।

08. कम्प्यूटर शाखा, मुख्यालय कारागार, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

उप महानिरीक्षक कारागार
रेज, जोधपुर (राज0)

24-1-19,

प्रहरी भर्ती 2015 में चयनित अभ्यर्थियों को प्रहरी पद पर उपस्थित होने के संबंध में
ज्वाइनिंग निर्देश

1. चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र में अंकित प्रशिक्षण केन्द्र पर निर्धारित दिनांक 01.02.2019 को उपस्थित होंगे।
2. उपस्थित होते समय निम्नांकित मूल दस्तावेज (यदि पूर्व में जमा नहीं करवाए गये हों) तो अपने साथ लावें।
इसके अभाव में नियुक्ति पर उपस्थिति मान्य नहीं होगी।
 - आयु प्रमाण पत्र। (सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण पत्र)
 - जाति प्रमाण पत्र। (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग)
 - शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र व अंकतालिका।
 - मूल निवास प्रमाण पत्र।
 - यदि पूर्व में कही कार्यरत हैं तो पूर्व नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
 - भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में डिस्चार्ज सर्टिफिकेट।
3. बन्ध पत्र (Bond) पचास रुपये के INDIAN-NON-JUDICIAL स्टाम्प पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। (निर्धारित प्रारूप विभागीय वेबसाइट <http://home.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है)
4. यदि विवाहित हैं तो दिनांक 01.02.2002 को एवं उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के संबंध में शपथ पत्र। (विभागीय वेबसाइट <http://home.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है)
5. विवाहित के द्वारा उनके “विवाह के समय दहेज नहीं लिया गया है” और अविवाहित हैं, तो उनके द्वारा “विवाह में दहेज नहीं लूंगा” का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा।
6. धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने की वचन बद्धता शपथ पत्र।
7. 06 पासपोर्ट साईज फोटो।
8. प्रशिक्षण के लिए उपस्थित होते समय चयनित अभ्यर्थी अपने साथ अग्रिम मैस फण्ड/अन्य व्यय के लिये राशि लेकर आएँ एवं निजी उपयोग के वस्त्र, एक खाकी सिली-सिलाई टेरीकोट की वर्दी, रोजमर्रा से काम आने वाले सामान एवं बिस्तर आदि लेकर आए।
9. चयनित अभ्यर्थी अपने साथ स्वयं के बैंक खाते की पासबुक लेकर आएंगे।
10. अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह जोधपुर कार्यालय दूरभाष नम्बर 0291-2650838 है।
11. अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह बीकानेर कार्यालय दूरभाष नम्बर 0151-2970004 है।

अनुबंध-पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पति श्री
आयु वर्ष, जाति निवासी-
..... मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि
मेरा प्रहरी पद पर परिवीक्षा प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यालय उप महानिरीक्षक कारागार राज,
..... के आदेश दिनांक के आदेशानुसार चयन हुआ है।

मेरी प्रहरी पद पर उपस्थिति दिनांक से दो वर्ष की अवधि में राजस्थान कारागार
अधीनस्थ सेवा से त्याग पत्र देना चाहूंगा या अन्य पद ग्रहण करना चाहूंगा तो ऐसा बयान
से पूर्व मुझे प्रशिक्षण अवधि में मेरे द्वारा प्राप्त समस्त वेतन व भत्ते एवं प्रशिक्षण पर हुए
व्यय की राशि एक मुश्त राजकोष में जमा करवा दूंगा/दूंगी।

स्थान:

दिनांक:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं उपरोक्त बन्ध पत्र निष्पादनकर्ता सत्यापित करता हूँ कि उक्त बन्ध पत्र की समस्त
बातें मेरी निजी जानकारी में सही व सत्य है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

अनुप्रमाणित

श्री पुत्र/पुत्री/पति श्री आयु वर्ष,
जाति निवासी- को अनुप्रमाणित करता हूँ।

हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक

12)

विवाह के समय दहेज न लेने व भविष्य में नही लेने के संबंध में शपथ पत्र

शपथ-पत्र

मैं..... पुत्र/पुत्री
निवासी.....सशपथ बयान करता हूँ कि “मेरा विवाह
श्रीमति/श्री से दिनांक को हुआ
था। विवाह में मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दहेज नही लिया/दिया है।”

अथवा

मैं.....पुत्र/पुत्री.....निवासी.....
..... सशपथ बयान करता हूँ कि “ मैं अभी अविवाहित हूँ तथा भविष्य
में होने वाले विवाह में किसी प्रकार का दहेज नही लूंगा।”

हस्ताक्षर शपथकर्ता

संतानो की संख्या के संबंध में शपथ पत्र

शपथ-पत्र

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी
..... निवासी.....सशपथ बयान करता/करती
हूँ कि :-

01. यह कि मेरे दिनांक 01.06.2002 से पूर्व संतानों की संख्या.....
है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.स.	संतान का नाम	सम्बन्ध	जन्म दिनांक

02. यह कि मेरे दिनांक 01.06.2002 से पश्चात संतानों की संख्या.....
है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.स.	संतान का नाम	सम्बन्ध	जन्म दिनांक

हस्ताक्षर शपथकर्ता

धूम्रपान व गुटखा सेवन नही करने का शपथ पत्र का प्रारूप

शपथ-पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....

निवासी..... सशपथ बयान करता/करती हूँ

कि " मैं धूम्रपान एवं गुटखा आदि का सेवन नही करूँगा/करूँगी"।

दिनांक :

हस्ताक्षर शपथकर्ता